कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या : 537/एल0बी0सी0–2018 दिनांक 20 मार्च, 2018

विज्ञप्ति

सचिव, शहरी विकास अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक संख्या–696/–3–2018–01 (न0नि0)/2018 दिनांक 10 मार्च, 2018 के द्वारा नगर निकायों के सीमा विस्तार/गठन में प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सुनवाई हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं सम्बन्धित नगर निकाय के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को सदस्य सचिव नामित करते हुए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद देहरादून में स्थित नगर निगम, देहरादून, नगर पालिका परिषद विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला के सीमा विस्तार/गठन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई दिनांक 22.03.2018 से 24.03.2018 तक ओडोटोरियम हॉल नगर निगम, देहरादून में निम्न विवरण अनुसार की जायेगी।

दिनांक	समय	नगर पालिका/नगर निगम
22.03.2018	10:00 बजे से 11:00 बजे तक	नगर पालिका विकासगनर
	11:00 बजे से 01:00 बजे तक	नगर पालिका ऋषिकेश
	02:00 बजे से 04:00 बजे तक.	नगर पालिका डोईवाला
23.03.2018	10:00 बजे से 11:00 बजे तक (प्रथम पाली)	नगर निगम, देहरादून ब्लाक सहसपुर क्षेत्र से प्राप्त शिकायत
	11:00 बजे से 01:00 बजे तक (द्वितीय पाली)	नगर निगम, ब्लाक डोईवाला क्षेत्र से प्राप्त शिकायत
24.03.2018	10:00 बजे से 01:00 बजे तक	नगर निगम, ब्लाक रायपुर क्षेत्र से प्राप्त शिकायत

अतः सभी आपत्तिकर्ताओं से अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर आपत्तियों की सुनवाई हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

जिला अधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त तिथियों पर सुनवाई स्थल पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस बल तैनात करें।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने हेतु प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी सदर, विकासनगर, ऋषिकेश एवं डोईवाला को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।
4. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दिनांक 21 मार्च, 2018 को जनपद में प्रकाशित होने वाले 02 प्रमुख स्थानीय/दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित तहसीलदार/गठित समिति के सदस्य।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, देहरादून को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने हेतु प्रेषित।

जिला अधिकारी,
देहरादून।